सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 258/21 **दिनांक- 02 जून 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-पवई

14 वर्षीय बच्चे की हत्या का सफल अनावरण, आला कत्ल के साथ हत्यारा गिरफ्तार

दिनांक- 23.05.2021 को श्री विनोद कुमार सिंह गौड़ पुत्र जेढू राम गौड़ निवासी सुलामापुर थाना-पवई, आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि सुबह आठ बजे वादी के तीनों बेटे शवम, सत्यम व सौरभ रोज की भांती बकरी चराने हेतु मझुई नदी के किनार शमसान घाट के पास गये थे कुछ समय बीत जाने के बाद दो लड़के शिवम और सौरभ घर आ गये तो शाम को जब वादी घर आकर अपने तीसरे बेटे सत्यम के बारे पूछताछ कि तो यह ज्ञात हुआ कि अद्धनिर्मित कमरें में सत्यम का धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गयी। इस सूचना थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष पवई को तत्काल हत्या का अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में थानाध्यक्ष श्री बृजेश सिंह व उ0नि0 सुनील कुमार सरोज मय हमराह द्वारा क्षेत्र में मामुर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की मु0अ0सं062/21 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित मृतक सत्यम पुत्र विनोद कुमार निवासी चकिया सुलेमापुर थाना पवई जनपद आजमगढ की बुआ विमला गौड से अभियुक्त प्रियांशू सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र चन्द्रबली सिंह निवासी सेहरी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर से कई वर्षो से बात करता था। व उनके बीच नाजायज संबन्ध थे अभियुक्त अपनी गर्लफ्रेंड विमला गौड सेबार बार मिलता जुलता रहता था जिसकी जानकारी मृतक सत्यम को हो गई थी मृतक सत्यम उपरोक्त ने देख लिया था अभियुक्त प्रियांशू उपरोक्त ने अपनी बदनामी के डर से मृतक उपरोक्त को दिनांक 23.05.2021 को समय 10.30 से 11.30 के बीच मझुई नदी के किनारे शमसान घाट के बगल बकरी चराते समय अकेला पाकर एक कमरे में उसकी गला काटकर हत्या कर दिया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की कटारी की बरामदगी की गई। आज अभियुक्त उपरोक्त को जरिये मुखबीर सूचना के आधार पर अभियुक्त प्रियांशू उर्फ प्रिंस सिंह उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 07.25 बजे दिनांक 02.06.2021 को हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

पूछताछ का विवरण –

1.पूछताछ पर अभियुक्त पवई जनपद आजमगढ़ अपने जुर्म व मृतक सत्यम की बुआ विमला गौड से अवैध सम्बन्ध स्वीकार किया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 62/21 धारा धारा 302भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्ता –

1. प्रियांशू सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र चन्द्रबली सिंह निवासी सेहरी थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर

बरामदगी –

1. 01 अदद आला कत्ललोहे की कटारी

पुलिस टीम –

1. SO श्री बृजेश सिंह थाना-पवई, आजमगढ़ मय हमराह।
2. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना-पवई, आजमगढ़ मय हमराह।